



Haryana Government Gazette

Published by Authority

Govt. of Haryana

No. 28-2019]

घण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 2019
(18 आषाढ़, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमक	विषय तस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1 अधिसूचना संख्या सांकांनि० 27/संवि०/309/2019, दिनांक 5 जुलाई, 2019 — हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2019	303-304
	2 अधिसूचना संख्या सांकांनि० 28/संवि०/309/2019, दिनांक 5 जुलाई, 2019 — मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2019.	305-308
	3 अधिसूचना संख्या सांकांनि० 53/क० अ० 53/1961/धा० 28/2019, दिनांक 5 जुलाई, 2019 — हरियाणा प्रसूति प्रसूविधा (संशोधन) नियम, 2019. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	307-310
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जुलाई, 2019

संख्या सांका०नि० 27/संवि०/अनु० 309/2019 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012, को आगे सशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012 में, परिशिष्ट ख में,
 - (i) खाना (4) के नीचे, क्रम संख्या 12 के सामने, "पदोन्नति द्वारा" शीर्ष के नीचे, मद् (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद् प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:---
 "(ii) टी०जी०टी० विज्ञान या टी०जी०टी० गणित के रूप में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव; और ";
 - (ii) खाना (4) के नीचे, क्रम संख्या 13 के सामने, "पदोन्नति द्वारा" शीर्ष के नीचे, मद् (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद् प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:---
 "(ii) टी०जी०टी० विज्ञान या टी०जी०टी० गणित के रूप में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव; और ";
 - (iii) खाना (4) के नीचे, क्रम संख्या 14 के सामने, "पदोन्नति द्वारा" शीर्ष के नीचे, मद् (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद् प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:---
 "(ii) टी०जी०टी० गणित या टी०जी०टी० विज्ञान के रूप में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव; और ";।

पी० के० दास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 9th July, 2019

No. G.S.R. 27/Const./Art. 309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Education School Cadre (Group B) Service Rules, 2012, namely : —

1. These rules may be called the Haryana State Education School Cadre (Group B) Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana State Education School Cadre (Group B) Service Rules, 2012, in Appendix B:-
 - (i) against serial number 12, under column (4), under heading for item (ii) 'By promotion', the following item shall be substituted, namely:-

"(ii) 2 years teaching experience as TGT Science or TGT Mathematics; AND";
 - (ii) against serial number 13, under column (4), under heading for item (ii) 'By promotion', the following item shall be substituted, namely:-

"(ii) 2 years teaching experience as TGT Science or TGT Mathematics; AND";and
 - (iii) against serial number 14, under column (4), under heading for item (ii) 'By promotion', the following item shall be substituted, namely:-

"(ii) 2 years teaching experience as TGT Mathematics or TGT Science; AND".

P. K. DAS.
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
School Education Department.